न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/191
मुकदमा नम्बर 44/2025 दर्ज दिनांक– 15.04.2025

रामबहादुर उर्फ रायबहादुर योगी पुत्र नाथुलाल योगी जाति योगी, निासी नांगल,तहसील उदयपुरवाटी , जिला झुझुंनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री महेश कुमार नारनोलिया
वकील अनावेदक :— पैरा. राज.

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 01.07.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम किरोडी पटवार हल्का टोडपुरा मे स्थित भूमि खाता सं. नया 72 पुराना 68 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 570 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 571 रकबा 0.21 है0, 572 रकबा 0.17 है0, 589 रकबा 0.40 है0, 590 रकबा 0.40 है0, 715/575 रकबा 0.40 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.74 है0 तथा इसी ग्राम की खाता सं. नया 53 अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 575 रकबा 0.09 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम रामबहादुर पुत्र नाथुलाल के स्थान पर रायबहादुर योगी पुत्र नाथुलाल योगी दर्ज व दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की ओर से पैरो. राज उपस्थित हो रिपोर्ट 8032 दिनांक 27.05.2025 पेश की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8032 दिनांक 27.05.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू